(55)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

विविध प्रकरण कमांक 2112–तीन/2005, विरूद्ध आदेश दिनांक 25–09–1996 पारित द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा प्रकरण कमांक 19/अ–6–अ/1995–96

.....

रविन्द्र मोहन नामदेव पुत्र श्री राम गोपाल नामदेव
निवासी–ओरछा, तहसील–निवाड़ी
जिला–टीकमगढ़ (म0प्र0)

..... आवेदक

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन कलेक्टर
जिला–टीकमगढ़

..... अनावेदक

.....

श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा, शासकीय पेनल अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/7/15 को पारित)

यह विविध आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 8 तथा धारा 32 के अंतर्गत न्यायालय नायब तहसीलदार, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 25–09–1996 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि स्थित ग्राम ओरछा की विवादित भूमि खसरा नं0 557/1/2 रकबा 1.214 है0 की भूमि नाथूराम काछी के नाम दर्ज थी, जिसका अस्थायी पट्टा वर्ष 1972–73 से 1976–77 के लिए नाथूराम काछी को प्राप्त हुआ था । उपरोक्तानुसार स्वीकृत पट्टा वर्ष 1977–78 तक दर्ज रहा, उसके पश्चात् बिना किसी

सक्षम अधिकारी के आदेश के पटवारी अभिलेख से पट्टा विषयक प्रविष्टि को समाप्त कर दिया गया था, इसकी जानकारी उसे उक्त भूमि की खसरा नकले लेने पर हुई। नाथूराम हरपे काछी द्वारा दिनांक 06.10.1995 को एक आवेदन पत्र नायब तहसीलदार न्यायालय में पेश किया, जिसमें उक्त भूमि खसरा नंबर 557/1 557/1/2 रकबा 1.214 है0 में अपना नाम दर्ज किये जाने हेतु निवेदन किया है । नायब तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार जारी कर विधिवत आपत्तियां आमंत्रित की गई । आपत्तियां आवेदन पत्र प्राप्त न होने से नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर जाकर जांच की गई एवं सरहदी कृषकों से पूछताछ की गई । मौके पर धनीराम, रामस्वरूप, रामचरण एवं स्वयं प्रार्थी के कथन लिये गये । स्थल निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया एवं पंचनामा के आधार प्रकरण क्रमांक 19/अ–6–अ/1995–96 पंजीबद्ध किया तथा पारित आदेश दिनांक 25.09.1996 से नायब तहसीलदार ओरछा द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया एवं उक्त राजस्व अभिलेख में संशोधन किये जाने के निर्देश दिये गये । नायब तहसीलदार ओरछा के दिनांक 25.09.1996 के विरूद्ध यह विविध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किये गये, जिसमें मुख्य रूप से यह बताया है कि नायब तहसीलदार ओरछा ने कृषि भूमि के उपयोग के लिये अपने आदेश दिनांक 25.09.96 में नाथूराम काछी की प्रविष्टि आदेश देकर अधिकारिता रहित, क्षेत्राधिकार विहीन कार्यवाही की है, जिससे नायब तहसीलदार ओरछा का प्रकरण क्र0 19/अ–6–अ/95–96 पारित आदेश दिनांक 25.09.96 न्यायहित में अन्तर्भूत शक्ति के अधीन खारिज किये जाने योग्य है । वर्ष 1993–94, 1994–95, व वर्ष 1995–96 का खसरा पांच शासकीय खाता (व्यक्तिगत खाता नहीं) खसरा क्र0 557/1/2 रकबा 4.492 है0 पठार लगान रहित की नायब तहसीलदार द्वारा प्रमाणित नकल दिनांक 04.05.96 की छायाप्रति अवलोकनार्थ हेतु संलग्न है । नायब तहसीलदार ओरछा ने अपने आदेश दिनांक 25.09.96 के पृष्ठ 2 की 13वी पंक्ति से लेकर " आवेदक ने अपने पक्ष समर्थन की खसरा नकल की छायाप्रति" 19वी पंक्ति तक नाथूराम ने अपना पक्ष रखा था तथा नायब तहसीलदार ने उक्त छायाप्रतियों का अवलोकन किया – सरासर असत्य उल्लेख किया गया है, क्योंकि इस आवेदन के साथ संलग्न सम्वत 2026(1969–70) से लेकर वर्ष 1994–95 तक खसरा नकलों में वर्ष 1974–75, 1975–1976 एवं वर्ष 1976–77 तथा 1977–78 (4 वर्षों) को

छोड़कर अन्य 22 वर्षों के पटवारी अभिलेखों में नाथूराम काछी का कहीं भी नाम दर्ज नहीं है, फर्जी खसरा नकलों की छायाप्रति संलग्न की गयी होगी। इसलिये नायब तहसीलदार की अभिलेख जॉच औचित्यपूर्ण न होकर पक्षपात पूर्ण है उन्हें मूल खसरों के अभिलेखों का अवलोकन कर उसकी जांच कर विवेचना करना चाहिए था । संहिता की धारा 32 के अनुसार न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा ने अपने पारित आदेश दिनांक 25.09.96 के पालन में न्यायालय की प्रक्रिया का दुरूपयोग कर धोखा–धड़ी की है, क्योंकि जो ग्राम ओरछा की नामांतरण पंजी क्र0 15 दिनांक 28.09.96 में नायब तहसीलदार ने नामांतरण नियम 31 (2 जुलाई 1965 का राजपत्र में प्रकाशित) अनुसार अभिप्रमाण न कर पद का दुरूपयोग कर भ्रष्टाचार हेतु अथवा किसी अनुचित दबाव में किया गया प्रतीत होता है । उन्होंने जो आदेश दिनांक 25.09.96 पारित किया है उसके अंतिम पैरा के पूर्व पैरा में निर्णीत किया है ''आवेदक नाथूराम तनय हरपे का नाम ग्राम ओरछा की भूमि खसरा क्र0 557/1 रकबा 1.214 है0 पर शासकीय पट्टेदार के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है ।'' परन्तु उन्होंने शासकीय पट्टेदार'' की इबारत को छिपाकर ''भूमि स्वामी'' दर्ज करने की स्वीकृति नामांतरण पंजी के नामांतरण क्र0 15 पर दे दी तथा उन्होंने यह और भी घोर अपराध किया है कि नामांतरण पंजी के कॉलम 7 में अपने अभिप्रमाणन पर पहले ''शा0 पट्टेदार'' अंकित करते करते उसमें ओर राइटिंग कर भूमि स्वामी का लेख दर्ज किया जिससे उन्होंने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 119 एवं धारा 120 बी व धारा 420 के तहत अपराध किया है । तर्क में यह भी कहा गया है कि आवेदक के पिता श्री रामगोपाल व भाई रामप्रताप का वर्ष 1978–79, 1979–80 व वर्ष 1980–81 में खसरा क्र0 557/1 रकबा 1.215 है0 पर खसरा पांच साल में फसलीय कब्जा दर्ज होने के साथ–साथ मेरे परिवार का 31–32 वर्षों से करीब 0.700 है0 से लेकर 1.214 है0 का फसलीय कब्जा चला आ रहा है जिसका मौके पर आज भी कब्जा है । जिले के समस्त शासकीय आदेशों के परिपालन के लिए अधिकारी एवं कर्मचारी उत्तरदायी होते है इसलिये उन्हें अनावेदक बनाया जाता है । अंत में आवेदक के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त करते हुये विविध स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

4/. अनावेदक शासन की ओर से पेनल अधिवक्ता द्वारा न्यायालय नायब तहसीलदार ओरछा, जिला–टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाकर विविध खारिज किये जाने का अनुरोध किया गया है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–09–1996 के अवलोकन से स्पष्ट है कि नानूराम को अस्थायी पट्टा दिया गया था तथा पटटे की अवधि में ही उसका नाम भू–अभिलेख में दर्ज हुआ । पट्टे का निरन्तर नवीनीकरण नहीं हुआ । फिर भी तहसीलदार ने बिना किसी पर्याप्त आधार तथा जॉच के उक्त पटटे का स्थायी पटटे के रूप में मान्य कर भूमि अभिलेख में त्रुटि मानते हुये संशोधन के आदेश दिये जो विधि एवं प्रकिया के विपरीत है । अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण कलेक्टर टीकमगढ़ को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 25–09–1996 को स्वमेव निगरानी में लेकर सभी पक्षों को सुनकर आवश्यक आदेश पारित करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर